राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 6527/2024

1. मारू राहुल नरेशभाई पुत्र मारू नरेशभाई, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी लक्ष्मणभाई, अम्बेडकर चोक, करियाना रोड, बाबरा, बाबरा, अमरेली, बाबरा, गुजरात-365421.

2. सोमानी निर्दोश शिवराजभाई पुत्र श्री शिवराजभाई, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी करियाना रोड, बाबरा, पो. बाबरा, जिला असम्रेली, गुजरात-365421

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर

2. डॉ. बलवीर सिंह पुत्र श्री मनोहर सिंह, निवासी 18, उम्मेद हेरिटेज, रतननगर, जोधपुर सिटी ईस्ट, जोधपुर (राज)

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री एसपी जोशी श्री ज़ीशान अली, श्री कल्पतरु त्रिपाठी श्री पंकज टाक
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री विक्रम सिंह राजपुरोहित, पी.पी. श्री फ़िरोज़ खान आर/2 के लिए

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

25/09/2024

1. यहां दो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दिनांक 16.05.2024 को दर्ज एफआईआर संख्या 0115/2024 को रद्द करने की मांग की गई है। एफआईआर पुलिस स्टेशन रतनाडा, जिला जोधपुर सिटी ईस्ट में आईपीसी की धारा 406 और 420 और आईटी एक्ट की धारा 66सी और 66डी के तहत दर्ज की गई है।

2. अनावश्यक विवरणों से रहित प्रासंगिक तथ्यों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, जो तत्काल याचिका दायर करने के लिए प्रेरित करती है, इस प्रकार है:

2.1. प्रतिवादी संख्या 2, शिकायतकर्ता ने पुलिस उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर के समक्ष एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके साथ ऑनलाइन निवेश योजना के माध्यम से धोखाधड़ी की गई है। उसने फेसबुक पर एक निवेश अवसर की खोज की और बाद में उसे कोटक पीएमएस साइट से जुड़े एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी को शेयरों और आईपीओ में निवेश करने का लालच दिया गया, शुरुआत में रियायती दरों पर वादा किया गया था। आसान निकासी और गारंटीकृत मुनाफे के आश्वासन के बावजूद, शिकायतकर्ता को अंततः एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। कुल मिलाकर, ₹2,18,97,797 धोखाधड़ी वाले खातों में जमा किए गए। कई शिकायतों और पूछताछ के बावजूद, वादा किए गए रिटर्न कभी जमा नहीं किए गए।

2.2. शिकायत के आधार पर, आईपीसी की धारा 420 और 406 के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-सी और 66-डी के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों, पांडे रजत हरीशा भाई और भारत पीठभाई दांती के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406 और 120 बी के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। हालांकि, याचिकाकर्ताओं, राहुल और निर्दोष के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत जांच अभी भी लंबित है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ताओं, शिकायतकर्ता, साथ ही विद्वान लोक अभियोजक के विद्वान वकील द्वारा संबोधित प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के नाम एफआईआर में शामिल नहीं थे, उनकी कथित संलिप्तता पूरी तरह से सह-आरोपियों के बयानों पर आधारित है और उनका धोखाधड़ी वाले लेन-देन या शिकायतकर्ता से कोई संबंध नहीं है। उनका तर्क है कि याचिकाकर्ताओं का नाम सह-आरोपियों द्वारा गलत तरीके से लिया गया है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रत्यक्ष साक्ष्य की अनुपस्थिति के बावजूद, उन्हें चल रही जांच में गलत फंसाए जाने का जोखिम है।

5. जैसा भी हो, यहां स्वीकार की गई स्थिति यह है कि जांच पूरी करने के बाद, अभियोजन पक्ष ने पहले ही विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोप-पत्र दायर कर दिया है, जो मामले पर विचार कर रहा है।

6. इस संदर्भ में, बिना किसी देरी के, बीएनएसएस की धारा 193 का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें उप-धारा 9 और उसके प्रावधान पर विशेष जोर दिया गया है, जिसे आसान संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"धारा 193: जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट

(9) इस धारा में कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा जो उपधारा (3) के तहत रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजे जाने के बाद किसी अपराध के संबंध में आगे की जांच को रोकता हो और जहां ऐसी जांच पर पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करता है, वह मजिस्ट्रेट को ऐसे साक्ष्य के संबंध में एक और रिपोर्ट या रिपोर्टें उस रूप में भेजेगा जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा प्रदान कर सकती है; और उप-धारा (3) से (8) के प्रावधान, जहां तक हो सके, ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के संबंध में लागू होंगे जैसे वे उप-धारा (3) के तहत भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं:

बशर्ते कि मुकदमे के दौरान आगे की जांच मामले की सुनवाई करने वाले न्यायालय की अनुमति से की जा सकती है और नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा जिसे न्यायालय की अनुमति से बढ़ाया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

7. उप-धारा 9 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद विचारण के दौरान खोजी गई नई सामग्री के आधार पर जांच एजेंसी को आगे कोई जांच करने से रोकने के लिए कोई बाधा नहीं है, लेकिन परंतुक में एक स्पष्ट चेतावनी निहित है, क्योंकि विचारण के दौरान उक्त जांच उस न्यायालय की अनुमति से की जानी चाहिए जो मामले की सुनवाई कर रहा है।

8. यह पता चला है कि आरोप पत्र दाखिल करने से पहले, याचिकाकर्ताओं को पूछताछ या जांच के लिए बुलाने के लिए विचाराधीन कदम, यदि उठाए भी गए थे, तो केवल टेलीफोन या मौखिक प्रकृति के थे, और उन्हें कभी कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया था।

9. दिनांक 19.07.2024 के आरोप पत्र के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 22 आरोपियों को नोटिस जारी किए गए थे, और याचिकाकर्ताओं के नाम उनमें शामिल नहीं हैं। तदनुसार, यह स्पष्ट है कि आरोप पत्र दाखिल करने से पहले, याचिकाकर्ताओं को जांच में शामिल होने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, जो उस स्तर पर उनके खिलाफ़ आपत्तिजनक सामग्री की कमी का संकेत देता है।

10. इस आधार पर, बीएनएसएस की धारा 193 की उपधारा 9 में निहित परंतुक के मद्देनजर, अभियोजन पक्ष विद्वान ट्रायल कोर्ट से उचित अनुमति लेकर, उसमें

परिकल्पित प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे बढ़ेगा। जब तक अनुमति नहीं दी जाती, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को विद्वान ट्रायल कोर्ट की स्पष्ट अनुमति के बिना बुलाया नहीं जाएगा।

11. तदनुसार, वर्तमान याचिका को उपरोक्त टिप्पणियों के साथ निपटाया जाता है और कानून के अनुसार आगे की सुनवाई की जाती है।

12. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।